आदेश

जैसा कि विदित है, वर्तमान में कोरोना वायरस (COVID-19) के संक्रमण से उत्पन्न स्थिति के मध्यनजर मानव जीवन, स्वास्थ्य और सुरक्षा को खतरा है, क्योंकि कोरोना महामारी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के सम्पर्क में आने से अधिक फैलती है। इसके बचाव एवं लोक शांति बनाए रखने हेतू प्रतिबंधात्मक उपाय किया जाना नितान्त आवश्यक है।

अतः दण्ड प्रक्रिया नियमावली 1973 की धारा 144 द्वारा प्रदत शक्तियों के अन्तर्गत में, मैं, पंकज, भा0प्र0से0, अध्यक्ष जिला आपदा प्रबन्धन एवं जिला मैजिस्ट्रेट, नूहं जिला नूहं में बिना अनुमति के विवाह उत्सव या अन्य कोई भी कार्यक्रम वाटिका/बैंक्वेट हॉल में बिना अनुमति आयोजित करने पर रोक लगाता हूं।

सम्बन्धित उप मण्डल में विवाह कार्यक्रम की अनुमति प्रदान करने के लिए सम्बन्धित उप मण्डल मैजिस्ट्रेट को तुरन्त प्रभाव से प्राधिकृत करता हूँ। उप मण्डल मैजिस्ट्रेट, तहसीलदार तथा SHOs अनुमति उपरान्त यह सुनिश्चित करें कि COVID-19 से सम्बन्धित निर्देशों/SOPs की पालना की जा रही है।

इस आदेश का जिला नूहं में जिला लोक सम्पर्क विभाग की वेन/जीप द्वारा मुनादी करवाकर तथा जिला कचहेरी, उप मण्डल कचहेरी, तहसील कचेहरी तथा सार्वजनिक स्थानों पर पुलिस स्टेशनों, बस स्टेण्डों पर नाटिस चस्पा करके प्रचार किया जाए।

उपरोक्त आदेशों की अवहेलना में यदि कोई व्यक्ति दोषी पाया जाता है तो भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 सपठित आपदा प्रबन्धन अधीनियम, 2005 के तहत दण्ड का भागी होगा।

यह आदेश आज दिनांक 15.07.2020 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मोहर सहित जारी किये गयें।

Seal of the Court District Magistrate Nuh

सत्यमेव जयते

अध्यक्ष जिला आपदा प्रबन्धन एवं
जिला मैजिस्ट्रेट, नूहं।

पृ0क्रमांक – 766 / एम0बी0 दिनांक :- 15-07-2020.

इसकी एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतू प्रेषित है:-

1. मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, चण्डीगढ।
2. वित्तायुक्त एवं प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार, गृह विभाग, चण्डीगढ।
3. पुलिस महानिदेशक, हरियाणा चण्डीगढ।
4. आयुक्त, फरीदाबाद मण्डल फरीदाबाद।
5. पुलिस महानिरीक्षक, दक्षिणी रेंज, रेवाडी।
6. जिला सत्र एवं न्यायाधीश, नूहँ।
7. हरियाणा से सभी जिला मजिस्ट्रेट।
8. पुलिस अधीक्षक, नूहँ।
9. अतिरिक्त जिलाधीश, नूहँ।
10. नगराधीश, नूहँ।
11. उपमण्डल मजिस्ट्रेट, नूहँ/तावडू/फिरोजपुर झिरका/पुन्हाना को निर्देश दिये जाते है कि सरकार की हिदायतानुसार वाटिका/बैंक्वेट हॉल में आयोजित होने वाले विवाह कार्यक्रम की अनुमति नियमानुसार प्रदान करें।
12. जिला राजस्व अधिकारी, नूह।
13. जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी, नूहँ।
14. जिला लोक सम्पर्क अधिकारी, नूहँ।
15. जिला के सभी तहसीलदार/उप तहसीलदार।
16. जिला के समस्त खण्ड विकास एवं पंचायत अधिकारी।
17. निजि सहायक, उपायुक्त।
18. जिला के समस्त सचिव, नगरपालिकाएें।
19. जिला के समस्त थाना प्रबंधक (मार्फत कार्यालय पुलिस अधीक्षक)

अध्यक्ष जिला आपदा प्रबन्धन एवं
जिला मैजिस्ट्रेट, नूहं।